यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** के माह 04/2016 से माह 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2017 से 23.11.2017 तक श्री **राज बहादुर**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 04.04.2016 से 18.04.2016 तक श्री सुशांत रंजन, सहायक महालेखाकार के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	42.45	36.56	5.89	1178.88	1147.19	31.69
2015-16	Nil	Nil	44.06	42.83	1.23	2375.72	2366.41	9.31
2016-17	Nil	Nil	50.055	48.20	1.855	2128.00	2069.34	58.66

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि रू. लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	204.74	204.74	Nil	239.82	239.82
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	56.87	48.61	8.26	40.20	Nil
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	5.81	5.81	Nil	7.60	Nil
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	1.20	1.20	Nil	Nil	Nil

(i) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए **इकाई** ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण → निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ii)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न योजनाओ के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 **एवं** 07/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 1- दशमोत्तर छात्रवृत्ति में भिन्न भिन्न कोर्स हेतु 28 लाभार्थियो को धनराशि ₹ 1.14 लाख का अधिक भुगतान

उत्तराखंड शासन के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थान में संचालित डी. फार्मा कोर्स के शिक्षण शुल्क ₹ 45000=00 है एवं भारत सरकार के छात्रवृत्ति सम्बंधित दिशानिर्देश के अनुसार D. Pharma की Maintenance Allowance Group IV में आता है तथा प्रति माह ₹ 230=00 के अनुसार प्रदान करना है। इस आधार पर प्रति छात्र को (45000 + 230 x 10) = ₹ 47300 के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान करना है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया की Sh. UABKPP Vidyalaya Vidyapith, Rudraprayag के अनुसूचित जाति के 22 लाभार्थियो को D. Pharma कोर्स एवं 06 लाभार्थियो पंचकर्म कोर्स हेतु धनराशि ₹ 51360=00 के दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। अर्थात प्रति छात्र (51360 – 47300) = 4060 के दर से (22 + 6) = 28 लाभार्थियो को कुल धनराशि ₹ 113680/- का अधिक भुगतान परिलक्षित हो रहा है जो की निम्नरूप है :-

Course	Approved scholarship	Scholarship paid	Excess payment	No. Of candidate	Total
D. Pharma	47300	51360	4060	22	89320
Panchkarm	47300	51360	4060	06	24360
				Total	113680

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की जाएगी।

अतः दशमोत्तर छात्रवृत्ति में भिन्न भिन्न कोर्स हेतु 28 लाभार्थियो को धनराशि ₹ 1.14 लाख का अधिक भुगतान की प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 02 अटल आवास योजनान्तर्गत धनराशि रु0 10.66 लाख जनपद स्तर पर बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाना

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद के आवासहीन अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए अटल आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को लाभान्वित किया जाना है जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये हों। आवास निर्माण की लागत पर्वतीय क्षेत्रो हेतु रु0 38500 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु रु0 35000 निर्धारित है जिसमें से प्रथम किस्त के रुप में 23500 तथा आवास का निर्माण कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त क्रमशः रु0 15000 एवं रु0 11500 द्वितीय किस्त के रुप में प्रदान किया जाता है। शासनादेश में प्रावधानित किया गया था कि लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त का पूर्ण उपभोग कर लिया गया तथा उपभोग प्रमाण पत्र जनपदीय कार्यालय को जमा कर दिया गया है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण रूद्रप्रयाग के अटल आवास योजना से सम्बन्धित पार्ट द्वितीय पंजिका के लेखाभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि रू 10.66 लाख की धनराशि अवशेष दर्ज की गयी है। जो कि विगत 2013–14 से 56 कार्य की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में पड़ी है। जिबकि नियमानुसार/कार्यदेश के अनुसार कार्य तीन माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए थे। जिसका अनुपालन खण्ड द्वारा नही किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि अवशेष धनराशि प्रथम किस्त प्राप्त कर चूके है लाभार्थियों के द्वितीय किस्त से सम्बन्धित है। वर्तमान में उनका मिलान नही हो पा रहा है। मिलान कर संबधि के कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि विभाग द्वारा निरन्तर निमार्ण कार्य का अनुश्रवण किया जाना चाहिए था जिसके की द्वितीय किस्त की धनराशि लाभार्थियों को प्रेषित कर समय से निर्माण कार्य पूर्ण किये जा सके। अनुश्रवण के अभाव में विगत 04 वर्षो से अधिक समय के पश्चात भी 56 कार्यो की द्वितीय किस्त की धनराशि रू. 10.66 लाख अवरूद्र पड़ी है।

अतः अटल आवास योजनान्तर्गत धनराशि रु0 10.66 लाख जनपद स्तर पर बैंक खाते में अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 3 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 2.25 लाख का व्यय किया जाना

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में किये व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई को वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कुल उपलब्ध धनराशि रु0 7.07 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 4.51 लाख का व्यय किया गया था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, डीजल क्रय, डाक टिकट, वाहन किराया आदि मदों पर भी व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 2.25 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	धनराशि
1.	विद्युत बिल	28.04.2016	1359
2.	टेलीफोन बिल	28.04.2016	1170
3.	विद्युत बिल	03.06.2016	1453
4.	डाक टिकट	03.06.2016	10000
5.	डीजल क्रय	03.06.2016	14953
6.	डीजल क्रय	15.06.2016	1570
7.	टेलीफोन बिल	20.06.2016	1203
8.	डीजल क्रय	28.06.2016	4000
9.	डाक टिकट	08.07.2016	10000
10.	टेलीफोन बिल	20.07.2016	1579
11.	डाक टिकट	29.07.2016	5000
12.	टीडीएस आनलाइन बावत	30.07.2016	1794
13.	डीजल क्रय	30.07.2016	3000
14.	डीजल क्रय	16.08.2016	1500
15.	वाहन किराया	16.08.2016	6000
16.	डाक टिकट	16.08.2016	3000

17.	डीजल क्रय	23.08.2016	3000
18.	डीजल क्रय	22.08.2016	4734
19.	वाहन किराया	22.09.2016	3500
20.	डीजल क्रय	22.09.2016	2500
21.	टेलीफोन बिल	22.09.2016	2900
22.	डीजल क्रय	22.09.2016	7500
23.	टेलीफोन बिल	22.09.2016	1521
24.	टीडीएस आनलाइन बावत	22.09.2016	1794
25.	डीजल क्रय	22.09.2016	2000
26.	वाहन किराया	15.11.2016	3000
27.	टेलीफोन बिल	18.11.2016	1157
28.	वाहन किराया	18.11.2016	8500
29.	डीजल क्रय	30.112016	2000
30.	वाहन किराया	02.12.2016	3800
31.	डीजल क्रय	02.12.2016	6500
32.	टेलीफोन बिल	02.12.2016	1155
33.	डीजल क्रय	02.12.2016	1500
34.	विद्युत बिल	02.12.2016	1100
35.	विद्युत बिल	02.12.2016	1747
36.	डीजल क्रय	02.12.2016	2500
37.	डीजल क्रय	02.12.2016	1500
38.	वाहन किराया	02.12.2016	2500
39.	डीजल क्रय	20.02.2017	6000
40.	वाहन किराया	07.03.2017	5000
41.	डीजल क्रय	28.03.2017	3000
42.	टेलीफोन बिल	31.03.2017	1994
43.	डीजल क्रय	19.04.2017	5500
44.	टेलीफोन बिल	19.03.2017	1836
45.	विद्युत बिल	19.03.2017	1169
46.	टेलीफोन बिल	16.05.2017	1467
47.	विद्युत बिल	16.05.2017	1426
48.	डीजल क्रय	16.05.2017	5000
49.	डीजल क्रय	29.05.2017	5000
50.	डाक टिकट	16.05.2017	5000
51.	डीजल क्रय	20.06.2017	3500
52.	टेलीफोन बिल	21.06.2017	1741
53.	डीजल क्रय	21.06.2017	2000
54.	डीजल क्रय	21.06.2017	3500
55.	डीजल क्रय	21.06.2017	4165
56.	डीजल क्रय	02.08.2017	3500

57.	डीजल क्रय	02.08.2017	2000
58.	वाहन किराया	02.08.2017	2500
59.	डीजल क्रय	02.08.2017	4000
60.	डाक टिकट	02.08.2017	5000
61.	डीजल क्रय	02.08.2017	2500
62.	डीजल क्रय	02.08.2017	5000
63.	डीजल क्रय	02.08.2017	4000
64.	टेलीफोन बिल	02.08.2017	1246
65.	डीजल क्रय	02.08.2017	4000
	कुल योग		**225033**

उपरोक्त विवरणानुसार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय व्यय मद में कम धनराशि आवंटित होने के कारण तथा कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक मदों पर ही व्यय किया गया है। भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में इन मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं था।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 2.25 लाख का व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- कार्यालय की उदासीनता के कारण सम्प्रेक्षा अव ध तक धनरा श रु. 1.37 लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री का नीलाम न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 एवं 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ता क उक्त सामग्री को और ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत निष्प्रयोज्य सम्बन्धित लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क रु. 1.37 लाख की सामग्री जो 02 से 09 वर्षों से निष्प्रयोज्य थी तथा मरम्मत योग्य भी नहीं थी। जिसका क नियमानुसार यथाशीघ्र नीलाम कया जाना अपे क्षत था, जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं कया गया जिससे मूल्य से निरन्तर ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियाँ की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर जिला समाज कल्याण अ धकारी, रुद्रप्रयाग ने उत्तर दिया क नीलामी हेतु स मति का गठन कर अति शीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क सामग्री की नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
49	2008-09	1,2,3,4,5,6	शून्य	शून्य
130	2014-15	शून्य	1	**1**
02	2016-17	शून्य	1,2,3,4,5	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई ने अवगत कराया क वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही तैयार कर उ चत माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	श्री` बलवंत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र